वन बन्दोबस्त

वन विभाग के नियंत्रण अधीन वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों मे वन विभाग के नाम अमलदरामद किया जाता है। वन भूमि राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाता है। साथ ही वन सीमाओं पर मिनारें बनाकर वन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रकिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनओं का प्रकाशन : –किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/ रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र मे प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम , 1958 की प्रकिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित वन क्षेत्रों की स्थिति 31.3.2013 के अनुसार निम्नानुसार :–

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1)के अन्तर्गत	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत
26008.626	3954.456

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद :– वन क्षेत्रो का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रकिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31 मार्च , 2013 की स्थिति इस प्रकार है:–

(क्षेत्रफल हैक्टेयर मे)

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल	अमलदरामद से शेष वन भूमि
3274448.7867	2786947.2345	487501.5522
प्रतिशत	85.11%	14.89%

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए । राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुच्छेद–3) की राज आज्ञा कमांक प. 6(35)प्र.सु. अनुदेश–3/99 दिनांक 231.8.99 से वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मं समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप वन संरक्षक (नोडल अधिकारी) हैं। समिति का कार्यकाल राज आज्ञा दिनांक 01.05.2013 से 31.12.2015 तक बढाया गया है। वर्ष 2012–13 में माह मार्च 2013 तक 2911.207 हैक्टेयर वन भूमि का अमलदरामद हुआ है। अमलदरामद से शेष वन भूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क0स0	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षैत्रफल (हैक्टर में)
1	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	294054.8940
2	राजस्व रिकार्ड मे चरागाह	12184.0190
3	राजस्व रिकार्ड मे आवंटन	24009.247
4	राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी	18852.9915
5	राजस्व रिकार्ड मे आबादी	4814.5420
6	राजस्व रिकार्ड मे इंटिरियर लाइन	11571.1270
7	राजस्व रिकार्ड मे अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	31568.2697
8	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद / कारण	90446.4620
	योग	**487501.5522**

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामान्तरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग के परिपत्र 29.2.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का कार्य जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक से सम्पन्न करवाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयो को निर्देशित किया गया है । दिनांक 31.12.2015 तक बढाये गये समिति के कार्यकाल के आदेश की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयो को प्रेषित की गई है। वन भूमि के अमलदरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर समयबद्व कार्यक्रम के तहत पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वन मण्डल का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाकर सम्भाग स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा निर्धारित करने के निर्देश दिये है।

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2012–13 (दिनांक 31.03.2013 तक) में निम्नानुसार मिनारें (सीमा स्तम्भ) लगायें गये :–

क0स0	कार्यालय का नाम	लगाये गये सीमा स्तम्भ
1	मुख्य वन संरक्षक , अजमेर	1000
2	मुख्य वन संरक्षक , भरतपुर	1170
3	मुख्य वन संरक्षक , जोधपुर	1050
4	मुख्य वन संरक्षक , बीकानेर	194
5	मुख्य वन संरक्षक , कोटा	428
6	मुख्य वन संरक्षक , जयपुर	1834
7	मुख्य वन संरक्षक , उदयपुर	1633
8	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव , उदयपुर	446
9	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव जयपुर	350
10	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव कोटा	460
11	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव , भरतपुर	550
	योग	9115

राज्य वन क्षेत्र के शेष रहे सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2013 की स्थिति)

वन बन्दोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.03.2005 की स्थिति)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके हैं	सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं
283943	78797	205146
प्रतिशत	27.75%	72.25%

इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में 8200 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षको को आवंटित है, जो प्रगति पर है:--

क्र0स0	कार्यालय का नाम	लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ
1	मुख्य वन संरक्षक , अजमेर	800
2	मुख्य वन संरक्षक , भरतपुर	600
3	मुख्य वन संरक्षक , जोधपुर	800
4	मुख्य वन संरक्षक , बीकानेर	300
5	मुख्य वन संरक्षक , कोटा	800
6	मुख्य वन संरक्षक , जयपुर	1500
7	मुख्य वन संरक्षक , उदयपुर	900
8	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव जयपुर	400
9	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव जोधपुर	250
10	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव उदयपुर	500
11	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव , कोटा	1000
12	मुख्य वन संरक्षक , वन्य जीव , भरतपुर	350
	योग	8200

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार आवंटन के विरूद्व उपलब्धि हुई :–

क्र.स.	सर्वे कार्य का नाम	लक्ष्य		प्राप्ति	
		भौतिक(वर्ग किमी)	वित्तीय(लाखो मे)	भौतिक(वर्ग किमी)	वित्तीय(लाखो मे)
1	प्रारम्भिक सर्वे	150	6.00	107.5575	2.73115
2	प्लेन टेबल सर्वे	100	8.60	101.50	8.114